



संदेश

"हिंदी दिवस 2026" के अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ!

भारत की संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी भाषा को 14 सितम्बर, 1949 को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता दी थी। भारत के संविधान के लागू होने के साथ ही, हिंदी केंद्र सरकार के कार्यालयों में कामकाज की आधिकारिक भाषा, अर्थात् राजभाषा बन गई।

भाषा न केवल विचारों के आदान-प्रदान का माध्यम होती है, अपितु सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय एकता और गौरव का प्रतीक भी होती है। हिंदी दुनिया की सबसे वैज्ञानिक भाषाओं में से एक है और यह संवाद की सहजता व सरलता की अपनी खूबी से देश के बड़े हिस्से को आपस में जोड़ती है। इसलिए, मेरा यह मानना है कि "हिंदी दिवस" का उद्देश्य केवल एक दिन का उत्सव मनाना नहीं है, अपितु इससे प्रेरित और प्रोत्साहित होकर हिंदी को अपने दैनिक सरकारी कामकाज में सदैव के लिए अपनाना है।

भाषा के क्षेत्र में आए दिन नये प्रयोग हो रहे हैं। इन सफल प्रयोगों और नई तकनीकों से अब कम्प्यूटर, लैपटॉप आदि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर भी हिंदी में काम करना आसान हो गया है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अपने कार्यालयों में हिंदी में काम करने में गौरव का अनुभव करेंगे।

शुभकामनाओं के साथ !

शुभेच्छु

सोमनाथन

14 सितम्बर, 2026

(डॉ. टी. वी. सोमनाथन)